"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 179] रायपुर, शनिवार, दिनांक 30 जुलाई 2005—श्रावण 8, शक 1927

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़
इन्द्रावती खण्ड, मंत्रालय परिसर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 जुलाई 2005

क्रमांक 56/04/निर्वा. संचा./2005/1125.—भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली से प्राप्त आदेश क्रमांक 76/छ. ग. लो.स./2004/4379 दिनांक 07 जुलाई 2005 सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाता है.

बी. एल. अग्रवाल,
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी.

भारत निर्वाचन आयोग

नई दिल्ली, तारीख 7 जुलाई 2005—16 आषाढ़ 1927 (शक)

आदेश

सं. 76/छ.ग./लो.स./2004.—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में यथा विनिर्दिष्ट, छत्तीसगढ़ राज्य से लोक सभा के लिए हुए साधारण निर्वाचन, 2004 में, जो स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र से हुआ है, स्तम्भ (4) में उसके सामने निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ (5) में यथा दर्शित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहा है;

और यतः, उक्त अभ्यर्थियों ने सम्यक् सूचना दिये जाने पर भी उक्त असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उक्त असफलता के लिए उनके पास कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः, अब, निर्वाचन आयोग उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के विधान सभा या विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है :

सारणी

क्र. सं.	निर्वाचन का विवरण	लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र की क्रम सं. व नाम	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का नाम और पता	निरर्हता का कारण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	छत्तीसगढ़ से लोक सभा के लिए साधारण निर्वाचन, 2004.	5-सारंगढ़ अ. जा.	रोहित कुमार चौहान, चुराघांठा, व्हाया-डभरा जिला-जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़.	निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे.
2.	-वही-	-वही-	डॉ. गोविन्द चौहान, ग्राम-रानीडीह, पो. आ. सरिया तह.-सारंगढ़, जिला-रायगढ़ छत्तीसगढ़.	-वही-

आदेश से,

हस्ता./-
(एस. के. कौरा)
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi, Dated the 7th July 2005—16 Asadha, 1927 (Saka)

ORDER

No. 76/CG-HP/2004.—Whereas, the Election Commission is satisfied that each of the contesting candidate specified in column (4) of the Table below at the General Election to Lok Sabha, 2004 from the State of Chhattisgarh as specified in column (2) held from the Constituency specified in column (3) against his name has failed to lodge any account of election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951 and the Rules made thereunder as shown in column (5) of the said Table;

And, Whereas, the said candidates have not furnished any reason or explanation for the said failure even after due notice and the Election Commission is thus satisfied that they have no good reason or justification for the said failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the persons specified in column (4) of the table below to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State/Union Territory for a period of three years from the date of this order.

TABLE

S.No.	Particular of election	S. No. & Name of Parliamentary Constituency	Name & Address of contesting candidate	Reason for disqualification
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	General Election to Lok Sabha, 2004 from Chhattisgarh.	5-Sarangarh (SC)	Rohit Kumar Chauhan, Churaghantha, Via-Dabhra, Distt. Janjgir- Champa, Chhattisgarh.	Failure to lodge any account of election expenses.
2.	-Do-	-Do-	Dr. Govind Chauhan, Village-Ranidih, Post-Saria, Tahsil-Sarangarh, Distt.- Raigarh, Chhattisgarh.	-Do-

By Order,

Sd./-

(S. K. Kaura)

Secretary,

Election Commission of India.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2005.